राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक | अंक 54 | अक्टूबर - दिसम्बर 2015 | सीमित प्रसार के लिए

सम्पादकीय

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं पर शिवराज सिंह चौहान समिति रिपोर्ट

बजट समाचार का यह अंक (अक्टूबर–दिसंबर 2015) कई कारणों से देर से आ रहा है। इस अंक में पिछले वर्ष बार्क द्वारा किये गये कई अध्ययनों के परिणाम संक्षेप में दिये जा रहे हैं। वर्ष 2014–15 में बार्क ने राज्यों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर एक अध्ययन तथा सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर एक अध्ययन किया जिसे संक्षेप में इस अंक में दिया जा रहा है। साथ ही बार्क द्वारा इसी वर्ष उदयपुर जिले में जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन पर किये गये अध्ययन के परिणाम भी दिये जा रहे हैं। इस वर्ष बार्क ने अलवर जिले में सौहार्द संस्था के साथ मिलकर दो पंचायतों का आयोजना बनाने में सहयोग किया। इस अंक में एक आलेख में हमने अलवर जिले में पंचायत आयोजना के हमारे अनुभवों को भी आपके साथ साझा किया है।

केन्द्र तथा राज्य का अनुपूरक बजटः

इस के साथ ही हमने एक आलेख देश तथा राज्य के वर्ष 2015–16 के अनुपूरक बजट पर भी शामिल किया है। जैसा कि पिछले अंक में दिये एक आलेख में कहा गया है, कि वर्ष 2015–16 के बजट में भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के आवंटन में भारी कमी की थी जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों ने भी उन योजनाओं में कटौती की थी। ऐसा राजस्थान बजट 2015–16 में भी हुआ था। हलांकि केन्द्र सरकार का तर्क यह था कि चुंकि 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद राज्य सरकारों को केन्द्रीय करों में से मिलने वाले हिस्से में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई है इसलिये वे सामाजिक क्षेत्रों पर अपना खर्च बढ़ा सकते हैं। परन्तु 2015–16 के राज्य बजट में ऐसा कुछ हुआ नहीं।

इसलिये सभी आशा कर रहे थे कि 2015–16 के अनुपूरक बजट में शायद इन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी हो परन्तु जैसा कि इस अंक में शामिल आलेख में देखा जा सकता है, केन्द्र सरकार ने अनुपूरक बजट में इनमें से केवल कुछ योजनाओं को थोड़ी राशि आवंटित की है और राजस्थान सरकार ने इन योजनाओं की राशि में कोई बढ़ातरी नहीं की है।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं पर शिवराज सिंह चौहान समिति रिपोर्टः

नीति आयोग ने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है। इस समीति ने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को कोर (मूल) तथा वैकल्पिक दो समूहों में बांटने की सिफारिश की है। कोर योजनाओं में गरीबी उन्मूलन (मनरेगा सहित) समावेशी योजनाएं, पेयजल तथा स्वछ भारत मिशन, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क तथा संचार, कृषि पशुपालन, मछलीपालन सहित) तथा सिंचाई, शिक्षा तथा मध्यान्ह भोजन, स्वास्थ्य, पोषण तथा महिला एवं बाल विकास, आवास, शहरी विकास, कानून व्यवस्था तथा न्यायिक प्रणाली कोर क्षेत्र कहलायेंगे तथा इनमें मनरेगा तथा सामाजिक सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। कोर योजनाओं में सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक समावेश को ''कोर का कोर'' कहा गया है।

बजट के बारे में कहा गया है कि कोर सेक्टर के बजट स्तर को बनाये रखा जाना चाहिये। राज्य सरकार वैकल्पिक योजनाओं में से जिसे रखना चाहें उसे चलाये रखने के लिये स्वतंत्र होंगी।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का बजट अब राज्य तथा केन्द्र सरकार निम्न अनुपात में करेंगेः

1 कोर योजनाएंः

- 8 उत्तर पूर्व तथा 3 हिमालयी राज्य– केन्द्र 90 प्रतिशत तथा राज्य 10 प्रतिशत
- अन्य राज्य– केन्द्र 60 प्रतिशत तथा राज्य 40 प्रतिशत
- केन्द्र शासित प्रदेश– केन्द्र 100 प्रतिशत

2 वैकल्पिक योजनाएंः

- 8 उत्तर पूर्व तथा 3 हिमालयी राज्य– केन्द्र 80 प्रतिशत तथा राज्य 20 प्रतिशत
- अन्य राज्य– केन्द्र 50 प्रतिशत तथा राज्य 50 प्रतिशत
- केन्द्र शासित राज्य– केन्द्र 100 प्रतिशत

3 'कोर के कोर' के रूप में चिंहित योजनाओं में वर्तमान अनुपात को बनाये रखा जायेगा।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के बजट अनुपात में राज्यों के हिस्से में बढ़ोतरी (50 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत) किये जाने से राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, जिसे उन्हें अपने संसाधनों (केन्द्रीय करों में हिस्सा तथा स्वयं के करों) से पूरा करना होगा। साथ ही समिति हर क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तरह एक छतरी योजना रखने तथा अन्य योजनाओं को इसकी उपयोजना बनाने का सुझाव दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं से संबंधित ये सिफारिशें इस वर्ष (2015–16) से ही लागू हो जाएंगी परन्तु अब इस वर्ष का बजट तथा अनुपुरक बजट भी आ चुका है। जाहिर है शिवराज सिंह चौहान समिति की रिपोर्ट का प्रभाव तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये लिये बजट आंवटन की सही स्थिति अगले वर्ष के बजट में ही देखी जा सकती है।

नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित

चौदहवां वित्त आयोग और केन्द्र तथा राज्य का अनुपूरक बजट

भारतीय वित्त आयोग 1951 को अस्तित्व में आया। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान की धारा 280 के तहत किया जाता है। इस आयोग को केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए गठित किया जाता है। अब तक 14 वित्त आयोग गठित किये जा चुके हैं।

गौरतलब है कि दिसम्बर 2014 को, वाई. वी. रेड्डी की अध्यक्षता में 14 वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपी। इन सिफारिशों ने राजस्थान व बाकि राज्य सरकारों के बजट को काफ़ी प्रभावित किया। 14 वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत करने का सुझाव दिया, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया। लेकिन, दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को योजना और अनुदान आधारित मदद में कटौती कर दी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप एक ओर जहाँ राज्यों का केंद्रीय करों से प्राप्त राशि में बढ़ोतरी हुई है वहीं दूसरी ओर योजनागत अनुदान में कटौती के साथ बहुत सी केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं को बंद कर दिया गया। राज्य सरकार की हिस्सेदारी में बदलाव करने के पीछे तर्क राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्ता प्रदान करना और उनको अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना था। जिसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार की झोली में केंद्र से प्राप्त अनुदानों में लगभग तीन हज़ार करोड़ रूपये की कमी हुई है। नीचे दी गयी सारणी इन आंकड़ों को दर्शाती है।

भारत सरकार से राजस्थान सरकार को प्राप्त कुल राशि (राशि करोड़ में)

मद	2014–15 प्रस्तावित	2014–15 संशोधित	2015–16 प्रस्तावित
केंद्रीय करों में हिस्सा	22755.55	19817.15	28924.84
अनुदान (राज्य आयोजना को केंद्रीय सहायता सहित)	27775.56	23595.82	19844.79
कर्ज़	1890.66	1186.11	2458.99
कुल	52421.77	44599.08	51228.62

स्रोतः बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

इस समूचे फेरबदल का एक परिणाम यह निकला कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2014–15 के बजट में सामाजिक क्षेत्र में अपने निवेश को कम कर दिया जिसका सीधा असर कमज़ोर वर्ग के लोगों, जिसमें बच्चे, महिलाएं, अनुसूचित जाति व जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग शामिल हैं, पर पड़ेगा। जरुरी क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण में भी कटौती की गयी है। कुछ योजनायें, जो इस परिवर्तन से बहुत प्रभावित हुई हैं, उनमें सर्व शिक्षा अभियान, मध्याहन भोजन योजना, समन्वित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इत्यादि प्रमुख हैं। परिणामस्वरूप वर्ष 2015–16 के बजट में राज्य सरकार ने भी इन केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के आवंटन में कटौती की। राजस्थान सरकार ने 2015–16 के बजट में मनरेगा, मध्याहन भोजन, इंदिरा आवास, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इत्यादि में कटौती की थी। इस विषय पर विस्तृत चर्चा बजट समाचार के पिछले अंक (जुलाई–सितम्बर 2015) में की गई है।

केन्द्र एवं राजस्थान सरकार का अनुपूरक बजटः

ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने अनुपूरक बजट में इन योजनाओं के लिए राशि में कुछ बढ़ोतरी करेंगी। परन्तु न तो केंद्र सरकार के अनुपूरक बजट में ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़ोर देखने को मिला और न ही राज्य सरकार के अनुपूरक बजट में। केंद्र सरकार के अनुपूरक बजट में समन्वित बाल विकास योजना, सबला, स्वच्छ भारत अभियान, पेय जल योजना में आवंटित किया गया है। परन्तु, 2015–16 का कुल प्रस्तावित बजट तथा अनुपूरक बजट का जोड़ 2014–15 के कुल आवंटित बजट की तुलना में कम है।

केंद्र के द्वारा 2015–16 के अनुपूरक बजट में विभिन्न योजनाओं को दी गई अतिरिक्त राशि (राशि करोड़ में)

योजना	2014–15 प्रस्तावित	2014–15 संशोधित	2015–16 प्रस्तावित	2015–16 अनुपूरक बजट	2015–16 कुल (प्रस्तावित व अनुपूरक)
समन्वित बाल विकास सोजना	18321	16590.3	8471.77	3600	12071.77
स्वच्छ भारत अभियान	15389.85	12207.31	6366.87	2700	9066.87
सबला	700	630	10	400	410
पेय जल योजना	11000	9250	2611	1300	3911

स्रोतः केंद्र सरकार की वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 की बजट पुस्तिकाओं से

राजस्थान सरकार के अनुपूरक बजट 2015–16 का सारांशः

राजस्थान सरकार के अनुपूरक बजट 2015–16 में मुख्यतः, प्राकृतिक आपदा राहत तथा शहरी विकास में राशि आवंटित की गयी है। इसके अलावा सड़क परिवहन व राजमार्ग के लिए भी कुछ अनुदान राशि दी गयी है। नीचे दी गयी सरणी में अनुपूरक बजट में राजस्थान सरकार द्वारा पारित की गयी राशि का विवरण दिया गया है।

राजस्थान अनुपूरक बजट 2015–16 (राशि करोड़ में)

विभाग	राशि
नगरीय योजना एव प्रादेशिक विकास	162.91
प्राकृतिक आपदा राहत	304.39
सड़क परिवहन व राजमार्ग	1.88
वृहद सिंचाई	1.5
पशुपालन	0.78
सामान्य शिक्षा	0.13

स्रोतः राजस्थान सरकार की वर्ष 2015–16 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगे (पुस्तिका)

नगरीय योजना एवं प्रादेशिक विकास में अनुदान की मुख्य राशि नगरपालिकाओं को और स्वच्छ भारत अभियान के लिए आवंटित की गयी है। इसके अंतर्गत नगरपालिकाओं को सहायतार्थ राशि के रूप में लगभग 97 लाख रु प्रदान किया गया है और स्वच्छ भारत अभियान के लिए लगभग 21 लाख रु आवंटित किए गए। इसके अलावा 35.67 लाख रुपये की राशि तेरहवें वित्त आयोग के तहत सामान्य निष्पादन अनुदान के लिए आवंटित की गयी।

प्राकृतिक आपदा राहत के अंर्तगत आपदा प्रभावित जिलों में पशु शिविर और गोशाला के लिए लगभग 128.50 करोड़ रू आवंटित किये गए हैं। इसके अलावा वृद्ध, आसक्त एवं निसहाय बच्चों के राहत के लिए 2 करोड़ रू आवंटित किये गए हैं, लघु सीमांत कृषकों के क्रय के लिए किसानों को 728.38 करोड़ रू की सहायता प्रदान की गयी है तथा लघु सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों के लिए 726.62 करोड़ रू का कृषि अनुदान दिया गया है। राज्य आपदा एवं राहत निधि में लगभग 1378.13 करोड़ रु. आवंटित किये गये हैं। इनके अलावा बाकी शीर्ष में जो भी अनुदान दिया गया है वो बहुत ही कम है।

परन्तु इस वर्ष मार्च में पेश किये गए 2015–16 के बजट में जिन सामाजिक क्षेत्रों की योजनाओं के बजट में कटौती की गयी थी, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मध्याहन भोजन योजना, समन्वित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इत्यादि, उनके अनुपूरक बजट में भी कोई वृद्धि नहीं की गयी है। इससे यह पता चलता है कि सामाजिक क्षेत्रों के बजट में कमी के बावजूद केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनुपूरक बजट में इस कमी को पूरी करने की कोशिश नहीं की गयी है।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रमः खर्च के इंतजार में पड़ा है करोड़ों का बजट

देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में रहने वाले लोंगों की कुछ अलग समस्याएं होती हैं तथा उन क्षेत्रों के विकास तथा वहां रहने वाले परिवारों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 'सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम' प्रारम्भ किया गया है जिसके लिये वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। बार्क ने पिछले वर्ष राज्य में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्थिति को समझने के लिए एक अध्ययन किया यहां हम उस अध्ययन के मुख्य परिणामों को रख रहे हैं।

राज्य में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की स्थितिः

राजस्थान राज्य की करीब 1040 किलोमीटर लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर राज्य के बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर जिलों के 14 विकास खण्डों– शिव, बाडमेर, चौहटन, धोरीमन्ना, जैसलमेर, सम, कोलायत, खाजूवाला, करणपुर, गंगानगर, पदमपुर, घड़साना, रायसिंहनगर, व अनूपगढ में भारत सरकार द्वारा एक विशेष कार्यक्रम के रूप में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1993–94 से लागू किया गया। गृह मंत्रालय (बी.एम.), भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2009 में निर्देश जारी किये गये इसके बाद 2014 में इसमें कुछ नए प्रावधानों के साथ इस पॉलिसी को जारी किया गया जो 2014 से प्रभावी है। पॉलिसी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा सीमावर्ती ब्लॉकों की स्पेशल मैपिंग कर ब्लॉक के अनुसार विकास का प्लान बनाने का प्रावधान किया गया है। इस पॉलिसी के मुताबिक–

- बीएडीपी फण्ड का उपयोग उन गांवों के विकास के लिए प्रथम वरीयता से किया जाएगा जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जीरो लाइन पर बसे हुए हैं।
- सीमा क्षेत्र में विकास के लिए रोड़ कनेक्टविटी, विद्युतीकरण, पीने के पानी की सप्लाई, सफाई, स्वास्थ्य, कृषि आदि को प्राथमिकता देनी होगी।
- इसके बाद ही अन्य गांवों व क्षेत्रों में विकास करवाया जा सकेगा।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमा क्षेत्र में दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशिष्ठ आवश्यकताओं की पूर्ति करना हैं। यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य को इस कार्यक्रम हेतु राशि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई, विकास खण्ड की जनसंख्या एवं विकास खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर दी जाती है। राज्य स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार कुल प्राप्त होने वाली राशि में से 30–30 प्रतिशत राशि बाडमेर एवं जैसलमेर जिलों को, 25 प्रतिशत राशि बीकानेर जिले को एवं 15 प्रतिशत राशि गंगानगर जिले को आवंटित की जाती है। पीने का पानी, एप्रोच रोड, प्रशासनिक भवन, सड़क एवं पुलिया इत्यादि समस्त मूलभूत अवसंरचना के कार्यो पर 60 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय नहीं की जा सकती है। कुल आवंटन की 5 प्रतिशत राशि क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण पर व्यय की जा सकती है। वार्षिक आवंटन की 15 प्रतिशत राशि रखरखाव पर व्यय की जा सकती है। कार्यो का सम्पादन राज्य/केन्द्रीय/पैरा मिलिट्री संस्थाये/पंचायती राज संस्थाएं/जिला कोन्सिल/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी होती है। इसी प्रकार जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी भी होती है। कमेटी सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी को प्रस्तुत किए जाने वाले योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा करती है तथा विभिन्न कार्यकारी विभागों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं एवं कार्यों का परिवेक्षण एवं सुपरवीजन करती है तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होती है।

राज्य में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम निर्माण एवं मंजूरी की प्रक्रिया इस प्रकार होती है।ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले कार्यों के बारे में प्रस्ताव लिए जाते हैं। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पंचायत समिति भेजे जाते है। जिला परिषद में जिला स्तरीय कॉन्सिल में प्रस्तावों पर चर्चा होती है तथा कराए जाने वाले कार्यों की स्वीकृति होती है।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की वर्षवार वित्तीय स्थिति (राशि लाखों में)

वर्ष	पिछले वर्ष का शेष	निर्धारित राशि	वास्तविक प्राप्त राशि	उपलब्ध राशि पर प्राप्त ब्याज व अन्य से आय	कुल उपलब्ध निधि	खर्च	उपलब्ध राशि में से खर्च प्रतिशत	बैलेन्स (फरवरी 2015 तक)
2011–12	7713.77	11409.00	11409.00	0.00	19124.77	10441.71	54.00	8683.06
2012–13	10912.72	13800.00	13800.00	0.54	24713.26	15176.25	61.41	9537.01
2013–14	12464.06	13873.00	13873.00	88.38	26352.44	10703.10	40.62	15649.34
2014–15	17610.80	13973.00	13973.00	0.00	27913.95	14662.49	52.53	13251.46

स्रोत : राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से प्राप्त सूचना के आधार

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की राजस्थान में स्थितिः

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की वर्षवार वित्तीय स्थिति को देखें तो पता चलता है कि वास्तविक प्राप्त राशि का वर्ष 2012–13 में सर्वाधिक 61.41 प्रतिशत खर्च हुआ है जबकि वर्ष 2013–14 में सबसे कम 40.62 प्रतिशत ही खर्च हुआ है। वर्ष 2011–12 व 2013–14 में वास्तविक प्राप्त राशि भी खर्च नहीं की गई। हर वर्ष पिछले वर्ष की शेष की राशि बढ़ती जा रही है। सरकार व कार्यान्वयन अभिकरण का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकार के पास वर्ष 2013–14 में इतना बैलेन्स रहा कि उसके ब्याज के ही 88 लाख 38 हजार रूपये सरकार को प्राप्त हुए। इन सीमावर्ती इलाकों में ज्यादातर दलित, आदिवासी व अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रहते हैं। इस योजना के तहत सरकार इन लोगों के विकास के लिए बहुत से काम करवा सकती है। परन्तु देखने में आया है कि जो काम किए गए हैं उनकी उपयोगिता भी खास नहीं है।

राज्य में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की 4 वर्ष की प्रगति

वर्ष	व्यय राशि (लाख में)	भौतिक उपलब्धि
2011–12	10441.71	1034
2012–13	15176.25.	1314
2013–14	10703.10	896
2014–15 (दिसम्बर 2014 तक)	9955.51	979

स्रोत : www.rajpanchayat.rajasthan.gov.in

राज्य में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की 4 वर्ष की प्रगति पर नजर डालें तो 2013–14 में कम काम हुए लगते हैं लेकिन सही रूप में यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि पिछले वर्ष के अधूरे कार्यों को अगले वर्ष तक करवाया जाता है इसलिए एक वर्ष में कितने कार्य पूर्ण हुए यह कह पाना संभव नहीं है।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की जिलेवार वित्तीय स्थिति 2014–15 (अप्रेल 2014 से फरवरी 2015 तक) (राशि लाखों में)

जिला	पिछले वर्ष का शेष	निर्धारित राशि	वास्तविक प्राप्त राशि	ब्याज व अन्य से प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध निधि	खर्च राशि	उपलब्ध राशि में से खर्च प्रतिशत	बैलेन्स 1–3–15 तक
बाडमेर	4735.68	4129.40	3090.95	00.00	7826.63	3939.61	50.34	3887.02
बीकानेर	6707.31	3440.75	2575.79	00.00	9283.10	4099.10	44.16	5184.00
गंगानगर	2081.68	2063.45	1545.46	00.00	3627.14	2495.52	68.80	1131.62
जैसलमेर	4086.13	4129.40	3090.95	00.00	7177.08	4128.26	57.52	3048.82
कुल	17610.80	13773.00	10303.15	00.00	27913.95	14662.49	52.53	13251.46

स्रोतः जिला परिषदों से प्राप्त सूचना के आधार पर

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की जिलेवार 2014–15 वित्तीय स्थिति को देखें तो पता चलता है कि किसी भी जिले में आवंटित राशि को पूरा खर्च नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों के विकास के लिए सरकार व ग्रामीण विकास विभाग संवेदनशील नहीं लगता है। बीकानेर जिले में तो केवल 44.16 प्रतिशत राशि ही खर्च की गई है हालांकि गंगानगर जिले में जरूर 68.80 प्रतिशत राशि खर्च की गई परन्तु इसे भी संतोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य की कुल खर्च राशि का आकलन करें तो केवल 52.53 प्रतिशत राशि ही खर्च की गई है, जो बहुत कम खर्च है। 13251.46 लाख रूपये के काम सरकारी व विभागीय लापरवाही के कारण नहीं हो पाए लगते हैं।

राज्य में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की 4 वर्ष की उपलब्धियां

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रगति पर कार्य
2011–12	कोई निश्चित नहीं	47	12
2012–13	कोई निश्चित नहीं	1314	964
2013–14	कोई निश्चित नहीं	894	1245
2014–15 (फरवरी 2015 तक)	कोई निश्चित नहीं	1322	1127

स्रोत : www.rajpanchayat.rajasthan.gov.in

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए ना तो राज्य स्तर पर और ना ही जिला स्तर पर कोई लक्ष्य निर्धारित होने के कारण प्रत्येक जिले को उसके हिस्से की निर्धारित राशि नहीं मिल पाती है। इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार से जो राशि जिलों को आवंटित की जाती है वह अक्सर जून–जुलाई तक जारी होती है और जिला स्तर से अधिकांशतः नवम्बर से लेकर मार्च के अंत तक स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके साथ ही प्रशासनिक स्वीकृति के कई महिनों बाद वित्तीय स्वीकृति जारी होने के कारण उसी वर्ष में कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं और बहुत से काम तो उस वर्ष में शुरू ही नहीं हो पाते। ऐसे में किसी भी वर्ष की उपलब्धियों को सही तरह से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रमुख निष्कर्षः

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। यहां तक कि वार्ड पंचों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरपंच व सचिव को ही इस योजना के बारे में जानकारी रहती है। आम आदमी को ग्राम सभा की बैठक के बारे में किसी प्रकार की सूचना नहीं मिल पाती। जिन लोगों को वार्ड पंच के माध्यम से सूचना मिल जाती है वे ही जाते हैं उनमें भी वे लोग शामिल होते हैं जिन्हे किसी योजना के तहत लाभ दिलवाया जाता है।

- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर बसे राजस्व गावों के विकास हेतु कार्यक्रम तैयार कर उनकी आवश्यकता के अनुसार काम किए जाने का प्रावधान है परन्तु योजना बनाने में उन गांवों की कोई भूमिका नहीं होती है। क्योंकि ग्राम सभा में इन लोगों की भागीदारी नहीं के बराबर होती है।
- ग्राम सभा द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर भी कोई अमल नहीं हो पाता। जिला स्तर पर स्वीकृत होने वाले कामों में उस क्षेत्र की पंचायत समिति के प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक व सांसदों की चलती है, इसलिए उनकी मनमानी चलती है।
- सही रूप में इस कार्यक्रम का सामाजिक अंकेक्षण भी नहीं हो पाता। खुद ग्राम पंचायत सचिव मानते हैं कि नरेगा के सामाजिक अंकेक्षण के साथ ही इस कार्यक्रम का अंकेक्षण होता है परन्तु लोंगों से इस बारे में चर्चा की गई तो किसी ने भी नहीं बताया कि कभी इस कार्यक्रम का अंकेक्षण हुआ हो।
- गंगानगर के लोगों ने बताया कि ग्राम सभा के प्रस्तावों को जिला परिषद में कोई तवज्जो नहीं दी जाती वहां मौजूदा विधायक की ही चलती है और उसके द्वारा ही पंचायतों को फंड मिलता है। इसी प्रकार जैसलमेर के लोगों द्वारा बताया गया कि जो काम इस योजना के अंतर्गत किए जाते हैं उनकी उपयोगिता क्या है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जिसकी क्षेत्र में आवश्यकता है उसे दर किनार कर दूसरे काम करवाए जाते हैं। बीकानेर जिले की कोलायत ब्लॉक की ग्राम पंचायत रामगढ के गांव में 10 लाख की लागत से बने ए.एन.एम. आवास में एक दिन भी ए.एन.एम. नहीं रही, वहां बकरियां बैठती हैं और उसमें गंदगी बिखरी हुई है।
- गांव के लोगों को पता ही नहीं है कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भी उनके गांव का विकास होता है। उन्हें ना तो सचिव और न ही सरपंच द्वारा इस बाबत कोई जानकारी दी जाती है।
- गृह मंत्रालय के सीमा प्रबन्ध विभाग के सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की परिवर्तित मार्गदर्शिका 2014, के अनुसार अनुसूचित जाति, तथा अनुसूचित जन जाति उप– योजना के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या के अनुपात में इस कार्यक्रम का बजट आवंटित तथा खर्च होना चाहिए लेकिन किसी भी ग्राम में इसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता है।
- इस क्षेत्र में बसने वाले अल्पसंख्यकों के लिए ही कोई विशेष काम नहीं करवाए जाते।
- सामाजिक अंकेक्षण के लिए कोई कमेटी नहीं बनी हुई है और न ही ग्राम सभा में कभी ऑडिट रिपोर्ट पढ कर सुनाई जाती है।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुझावः

राज्य में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बजट प्रवाह का अध्ययन के दौरान विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा समूह चर्चा एवं राज्य एवं जिलों से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकडों के विश्लेषण के आधार पर, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

- केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रथम किस्त (90 प्रतिशत) की पूरी राशि जिला परिषद को देने का प्रावधान किया जाए।
- ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।
- सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की नीति 2014 के अनुसार ही जिलों को राशि आवंटित की जाए।
- सीमावर्ती गांव जो 0 से 5 कि.मि. के क्षेत्र के हैं, को विकास कार्यों में प्राथमिकता दी जाए।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अनुसूचित जन जाति उपयोजना की राशि जनसंख्या के अनुपात में खर्च की जाए तथा जिला स्तर पर बजट में उसका स्पष्ट प्रावधान प्रदर्शित किया जाए।
- कार्यक्रम के तहत किय जाने वाले कार्यों का प्रस्ताव ग्राम सभा से पारित करवा कर पंचायत समिति के पास भिजवाया जाए उसके बाद ही जिला स्तरीय कमेटी के पास भिजवाए जाएं।

केंद्रीय मंत्री "जन बजट" के लिये करेंगे दौरा

एक खबर के मुताबिक केंद्र सरकार के मंत्रीगण आने वाले बजट 2016–17 के लिये जनता की राय जानने के लिये विभिन्न संसदीय क्षेत्रों का दौरा करेंगे। अभी मंत्रियों के कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं है लेकिन अगर आपके क्षेत्र या जिले में किसी मंत्री महोदय का ऐसा कोई कार्यक्रम जनवरी या फरवरी में बनता है तो हम आशा करते हैं कि आप उस कार्यक्रम में शामिल होकर केन्द्रीय बजट 2016–17 से अपनी अपेक्षाएं व सुझाव मंत्री महोदय के सामने जरुर रखेंगे।

राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्थितिः एक अध्ययन

भारतीय संविधान में सामाजिक सुरक्षा की स्पष्ट अवधारणा की गई है। संविधान का अनुच्छेद 21– जीवन जीने के अधिकार की बात करता है, तो अनुच्छेद 41– राज्य को उसकी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए लोगों के काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, और अंगहीन तथा अन्य अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार की भी बात करता है। भारतीय कानूनों ही नहीं अर्न्तराष्ट्रीय कानूनों में भी सामाजिक सुरक्षा की बात कही गई है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अनुच्छेद–22 तथा अनुच्छेद–25 (1)– के अनुसार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के उस स्वतंत्र विकास तथा गौरव के लिए, अनिवार्यतः आवश्यक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक है। इसके अलावा स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है, जो उसे उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त हो।

भारत सरकार ने भी 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी) शुरू किया जिसके तहत सरकार की ओर से विधवा महिलाओं, निशक्तजनों, वृद्धजनों के लिए विभिन्न तरह की आर्थिक सहयोग, व शैक्षणिक विकास की योजनाऐं संचालित की जा रही है। राज्य में इन योजनाओं के संचालन के लिए प्रतिवर्ष राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की ओर से बजट आवंटित किया जाता है। राज्य में योजनाओं के तहत सरकार की ओर से प्रतिमाह लाभार्थी को 250 रू, 500 रू तथा 750 रू. उम्र के हिसाब से दिये जाते हैं।

राज्य में संचालित पेंशन योजनाओं के लाभार्थी और बजट प्रावधानः

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल 57.87 लाख व्यक्ति पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जिनमें से 49.03 लाख राज्य पेंशन योजना तथा 8.83 लाख केन्द्रीय पेंशन योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं, पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों में 46.66 लाख व्यक्ति वृद्धावस्था, 7.58 लाख विधवा, तथा 3.60 लाख निशक्तजन/विकलांगता पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

वर्ष 2012–13 में पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थीयों की संख्या 14.40 लाख थी, जो वर्ष 2013–14 में बढ़कर 53.30 लाख तथा 2014–15 में 56.19 लाख हो गई, वर्ष 2013–14 में सरकार की ओर से पेंशन योजनाओं के नियमों में किये गये बदलाव के कारण 38.89 लाख लाभार्थी नये शामिल किये गये हैं। जो तीन साल में हुई बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा हैं।

वर्ष 2013–14 में राज्य के लिए केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से पेंशन योजनाओं के तहत कुल 2861.09 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया था, जबकि खर्च राशि 2805.79 करोड़ रूपये हैं, इस कुल आवंटन में राज्य सरकार की ओर से 2555.63 करोड़ रूपये आवंटित किये गये, जबकि खर्च 2500.33 करोड़ रूपये किये गये हैं, आवंटित बजट राशि में सें 2249.99 करोड़ रूपये वृद्धावस्था, 422.55 विधवा तथा 188.54 करोड़ रूपये विकलांगता पेंशन के लिए खर्च किये गये हैं। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2013–14 में बजट आवटंन तो किया है, लेकिन उसकी तुलना में राशि का भुगतान लाभार्थीयों को नहीं किया गया। सरकार की ओर से 24.95 करोड़ रूपये वृद्धावस्था, 2.10 विधवा तथा 8.74 करोड़ रूपये विकलांगता पेंशन के कम तहत खर्च किये गये हैं।

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (बार्क) की ओर से पेंशन योजनाओं का अध्ययनः

वर्षवार बजट प्रावधान, व्यय राशि एवं लाभार्थी संख्या का विवरण (लाख में)

वर्ष	विवरण	वृद्धजन पेशन			विधवा पेंशन			विकलांगता पेंशन			कुल लाभर्थी संख्या	कुल बजट प्रावधान	कुल व्यय राशि
		लाभार्थी संख्या	बजट प्रावधान	व्यय राशि	लाभार्थी संख्या	बजट प्रावधान	व्यय राशि	लाभार्थी संख्या	बजट प्रावधान	व्यय राशि			
2012–13	राष्ट्रीय	6.97	18999.24	18999.2	1.08	3157.47	3157.47	0.18	573.78	573.78	8.22	22730.49	22730.49
	राज्य	1.75	35000	36649.6	2.97	20000	20604.4	1.47	8700	8726.27	6.19	63700	65980.28
	योग	8.72	53999.24	55648.9	4.04	23157.47	23761.9	1.65	9273.78	9300.05	14.41	86430.49	88710.77
2013–14	राष्ट्रीय	7.59	25435.35	25435.4	1.20	4255.78	4255.78	0.23	854.48	854.48	9.02	30545.61	30545.61
	राज्य	35.38	199563.65	197069	5.63	38000.17	35839.2	3.28	18000	17125.7	44.29	255563.65	250033.82
	योग	42.97	224999	222504	6.83	42255.95	40095	3.51	18854.48	17980.2	53.31	286109.26	280579.43
2014–15	राष्ट्रीय	7.56	29075.9	15554.1	1.17	5150.67	2690.4	0.23	1140.67	492.95	8.96	35367.25	18737.4
	राज्य	37.85	240000	176087	6.00	40000	26449.4	3.38	20000	13099.2	47.23	300000	215635.41
	विविध व्यय		871.97	160.04		154.91			34.2			1061.08	160.04
	योग	45.41	269947.88	191801	7.17	45305.58	29139.8	3.61	21174.87	13592.2	56.19	336428.33	234532.85

स्रोत : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

सामाजिक सुरक्षा के लिए संचालित इन पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक परेशानियों, इससे जुड़े लोगों के जीवन में आये बदलाव को जानने के लिए बार्क ने राजस्थान के 5 जिलों–कोटा, जयपुर, बारां, झालावाड़, बूंदी व भीलवाड़ा की कुल 7 तहसील व 2 शहरी क्षैत्र में सामाजिक सुरक्षा (पेंशन योजनाओं) का अध्ययन किया गया, इसमें कुल 480 लोगो को शामिल किया गया, जनमें 389 महिला और 91 पुरूष शामिल हैं। इस अध्ययन में शामिल कुल 480 लोगो में से 405 ही ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरह की पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जबकि 75 ऐसे है, जिन्होने पेंशन के लिए आवेदन तो किया है, लेकिन उन्हे पेंशन नहीं मिल रही है, जिनमे 61 महिलाऐं और 14 पुरूष हैं।

सामाजिक सुरक्षा व अन्य कल्याणकरी योजनाओं तक उत्तरदाताओं की पहुंचः

इस अध्ययन के दौरान जब हमने उत्तदाताओं से पेंशन योजनाओं की क्रियान्विति के साथ–साथ सामाजिक आर्थिक विकास की अन्य योजनाओं की व्यवहारिक स्थिति के बारे में संग्रहित जानकारी से पता चला कि आज भी गांवों में इन योजनाओं का पूरा लाभ जरूरतमंत लोगो को नहीं मिल रहा है, आज भी बहुत अधिक लोग ऐसे है जो पात्रता तो रखते हैं लेकिन कार्यकारी एजेन्सी व जागरूकता के अभाव में इन योजनाओं से वंचित हैं। अध्ययन में शामिल 480 उत्तरदाताओं में से मात्र 86 ही ऐसे हैं जिन्हें सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिनकी सबसे ज्यादा संख्या भीलवाड़ा में 29 है। जयपुर में मात्र 1 उत्तरदाता को, बूंदी में 3 तथा बारां में मात्र 9 उत्तारदाताओं को अन्य योजनाओं का लाभ मिला है। इस अध्ययन के अनुसार अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा 54 इन्दिरा आवास योजना का लाभ प्राप्त करने वालों का है, 20 पालनहार योजना, 4 ट्राईसाईकिल, 1 आस्थाकार्ड व 4 विधवा महिलाओं को सहयोग योजना का लाभ मिला है।

हमारे निष्कर्षः

- ग्रामीण क्षेत्रों में अनपढ़, वृद्ध, विकलांग व विधवा महिलाओं को योजनाओं की जानकारी का अभाव है, आज भी हजारों जरूरतमंद व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित है।
- इस अध्ययन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में पेंशन के लिए आवेदन करने वाले लोगों में ज्यादातर लोग अपने आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में ही जमा करवाते हैं, जबकि नियमानुसार पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन व स्वीकृति की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत की कोई भूमिका नहीं है। तथा पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया सरल व पहुंच से दूर होने के कारण लाभार्थीयों द्वारा स्थानीय कर्मचारियों, व अन्य व्यक्तियों को अवैध रूप से पैसे का भुगतान किया जाता है।
- पेंशन के लिए आवेदन करने के 1 माह में पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होने का प्रावधान है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, व्यवहारिक रूप में पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया 3–6 माह में पूरी होती है, तो कभी कभी 1 वर्ष भी लग जाता है।
- पेंशन का भुगतान हर महिने प्राप्त नहीं होता है।
- ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लाभार्थीयों द्वारा अपनी स्वीकृत पेंशन को प्राप्त करने के लिए पोस्टमैन,

शेष पृष्ठ 4 पर

पंचायतों के आयोजना एवं बजट निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिये बार्क का अलवर जिले में प्रयास

भारत के संविधान में विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिये पंचायतों की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से देश में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ किया गया लेकिन वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। इस संविधान संशोधन के आधार पर 24 अप्रैल 1993 से इसके प्रावधानों को सम्पूर्ण भारत में लागू किया। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान में राजस्थान में 33 जिला परिषद, 249 पंचायत समितियां तथा 9185 ग्राम पंचायतें कार्य कर रही हैं।

पंचायती राज व्यवस्थाः पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रशासन की एक विकेन्द्रीकृत व्यवस्था है। जिसमें प्रशासन की शक्तियां जिला, पंचायत एवं ग्राम स्तर पर बंटी हुई होती हैं। संविधान ने पंचायतों को आयोजना निर्माण का संवैधानिक अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार पंचायतें अपने अपने कार्य क्षेत्र में विकास एवं कल्याण के लिये पंचवर्षीय तथा एकवर्षीय आयोजना बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। पंचायतों द्वारा तैयार इन आयोजनाओं के आधार पर ही उन्हें वार्षिक बजट राशि का आवंटन किया जाता है।

हस्तकक्षेप की आवश्यकताः पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से प्रदेश में लागू हुए लगभग 20 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। लेकिन अभी भी प्रायः पंचायतें आयोजना निर्माण के नाम पर केवल अपने कार्यों की एक चाह सूची ही तैयार करती हैं तथा इसी चाह सूची में कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए पंचवर्षीय तथा एकवर्षीय आयोजना तैयार की जाती है जिसकी वजह से पंचायतों के बजट विवरण में प्रायः विसंगतियां पाई जाती हैं और पंचायतों को वार्षिक बजट के अनुरूप पर्याप्त राशि आवंटित नहीं हो पाती या राशि देरी से जारी होती है।

चुने हुए पंचायत : यह प्रयास निम्नलिखित उद्देश्यों से किया गया–

1. पंचायत (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद) स्तर पर आयोजना एवं बजट निर्माण की प्रक्रिया को समझाना।
2. पंचायत आयोजना एवं बजट में अंर्तसंबंध का अध्ययन करना।
3. पंचायत हेतु बजट आवंटन के प्रवाह एवं प्रक्रिया को समझना।
4. पंचायतों का आयोजना तथा बजट निर्माण हेतु क्षमतासंवर्धन करना।

हस्तकक्षेप का क्षेत्रः राज्य में पंचायतों के आयोजना एवं बजट निर्माण की प्रक्रिया तथा उनमें अंर्तसंबंध को समझने के लिये यह हस्तकक्षेप राज्य के अलवर जिले की नीमराना पंचायत समिती के दो ग्राम पंचायत कुतिना एवं माजरा में एक स्वयं सेवी संस्था सोहार्द के सहयोग से किया गया।

पैरवी एवं क्षमतासंवर्धन का तरीकाःपंचायतों के आयोजना एवं बजट निर्माण को प्रभावी बनाने के लिये आयोजना एवं बजट बनाने की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा सरकारी आदेशों का अध्ययन करके मौजूदा प्रक्रिया में व्याप्त कमियों एवं खामियों को समझ कर उनके समाधान हेतु पंचायत प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों के साथ अप्रैल से सितम्बर माह तक मासिक बैठकों का आयोजन कर पंचायत आयोजना एवं बजट निर्माण प्रक्रिया एवं गांव में कराये जाने वाले विकास कार्यों के बारे में चर्चा की गयी।

इसके साथ ही निमराना की पांच ग्राम पंचायतों (माजरा, सांतो, कुतीना, मांढण एवं कान्हावास) से युवाओं का चयन कर उनको पंचायतों के आयोजना तथा बजट निर्माण पर चार दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कर प्रशिक्षित किया गया एवं एक क्षमतासंर्वधन समूह तैयार किया गया। इस प्रशिक्षण में 32 युवाओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण में प्रथम दो दिवसीय कक्षा कक्ष में प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही अन्तिम दो दिनों तक प्रतिभागियों ने गांव में जाकर प्रशिक्षण की विधाओं पर कार्य किया। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी दो दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायतों के आयोजना तथा बजट निर्माण पर प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण के प्रथम दिन पंचायती राज का स्वरूप, जनप्रतिनिधी के कर्तव्य, अधिकार एवं शक्तियां, वार्ड सभा, ग्राम सभा, पंचायत की आय के साथ, असली विकास, पंचायत को हस्तांतरित विभाग एवं कार्मिक, पंचायत स्तर की स्थायी समितियां आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दूसरे दिन ग्राम पंचायत आयोजना एवं बजट निर्माण प्रक्रिया पर बार्क ने विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई साथ ही भोजन उपरान्त के सत्र में सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई। इसमें 31 जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें 7 महिला जनप्रतिनिधी थी।

इसके अलावा चयनित पंचायतों के पिछले 3 वर्षों के आयोजना, प्रस्तावित बजट एवं वास्तविक व्यय के प्रपत्रों का अध्ययन करके आगामी आयोजना तथा बजट निर्माण में सहयोग किया गया एवं पंचायत में प्रभावी आयोजना के लिये प्रस्तावों तथा बजट अनुमान तैयार करने के लिये संदर्भ सामग्री भी बार्क द्वारा तैयार एवं वितरित की गयी।

आयोजना के लिये प्रस्तावों तथा बजट अनुमान तैयार करने की प्रक्रिया अनुप्रस्थ भ्रमण से शुरू की गयी जिसमें दोंनों पंचायतों के प्रमुख रास्तों व सार्वजनिक स्थलों पर जाकर उनके बारे में विस्तार से जानकारी ली गई। इसके बाद सामाजिक मानचित्र के माध्यम से गांव में सरकारी एवं सार्वजनिक स्थलों, जल स्रोतों आदि की जानकारी प्राप्त की गयी। तत्पश्चात दोंनों पंचायतों का संसाधन मानचित्रण बनाया गया जिसमें पंचायत की भूमि, जंगल, पहाड़, पानी आदि को ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया। इसके बाद बुजुर्गों के साथ बैठकर दोंनों पंचायतों के इतिहास एवं समय–समय पर घटित घटनाओं को समय रेखा के रूप में तैयार किया गया। इसके बाद सेवा सुविधा मानचित्रण एवं फसल वर्गीकरण भी किया गया है जिसके द्वारा यह जाना गया कि गांव में कौन–कौन सी सुविधाएं हैं और किन सुविधाओं के न मिलने पर गांव के लोगों को गांव से बाहर जाना पड़ता है। साथ ही वहां होने वाली फसलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई। इसके बाद दोनों पंचायतों में सभी परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण किया गया तथा सम्पदा वर्गीकरण के लिये चार श्रेणियां बनाई गईं जैसे–भूस्वामी, वेतन व अच्छी आय के परिवार, सीमित आय वाले परिवार व नाम मात्र की आय वाले परिवार व अति निर्धन परिवार। आखिर में पिछले 6 अभ्यासों से निकलकर आई समस्याओं को गांव के पुरूषों, महिलाओं व युवाओं के समूहों में अलग–अलग रखा गया है और उनकी राय के अनुसार समस्याओं का प्राथमीकीकरण कर माँगो व बजट अनुमान को तैयार किया गया।

आयोजना प्रपत्र के लिये संचित की गयी माँगों में से प्रस्ताव तैयार करने हेतु दोनों पंचायतों के दो–दो गांवों में पुरूषों, महिलाओं व युवाओं के समूहों द्वारा प्राथमीकता के आधार पर चुनी हुयी दस–दस समस्याओं को रखा गया। कुतीना ग्राम पंचायत में इन तीनों समूहों द्वारा निर्धारित समस्याओं में मुख्य रूप से नाली निर्माण कार्य, पशुचिकित्सालय निर्माण, आंगनवाडी भवनों का निर्माण, रास्तानिर्माण, टंकी निर्माण, जल आपूर्ति के लिए लोहे की पाईप बिछाना, बैंक की सुविधा, डाकघर की व्यवस्था एवं राजकीय माध्यमिक विधालय के लिए खेल के मैदान की व्यवस्था शामिल हैं। माजरा ग्राम पंचायत में इन तीनों समूहों द्वारा निर्धारित समस्याओं में मुख्य रूप से रास्ता व नाली निर्माण, तालाब की सुरक्षा के लिये दीवार का निर्माण, शमशान घाट में टीन शैड की व्यवस्था, खेल मैदान में स्टेडियम और दौड़ हेतु ट्रैक की व्यवस्था, तथा उप–स्वास्थ्य केन्द्र की चारदीवारी का निर्माण शामिल हैं। सभी अभ्यास पूर्ण होने के बाद कुछ दिनों में दोनों पंचायतों के आयोजना प्रपत्र तैयार किये गये जिन्हें 2 अक्टूबर 2015 को कुतिना की ग्राम सभा में तथा 20 अक्टूबर 2015 को माजरा की ग्राम सभा में सदस्यों के माध्यम से पंचायत रजिस्टर में प्रस्तावों के रूप में लिखवाकर उसके स्वीकृत कराने की कार्यवाही सहभागिता के आधार पर पारदर्शी तरीके से की गयी।

गांव के बजट पर फरवरी, 2016 में होने वाली ग्राम सभा में एक बार फिर ग्राम सभा सदस्यों के माध्यम से पंचायत रजिस्टर में प्रस्तावों के रूप में मांगे रखी जायेंगी एवं बजट निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी ली जायेगी। इसमें बार्क द्वारा भी पिछले तीन सालों के बजट का विश्लेषण करके ग्रामों में व्यय प्रवृत्ति को दो ग्राम पंचायतों के समक्ष रख सहयोग प्रदान किया जायेगा। अगले वर्ष व आने वाले वर्षों में भी आयोजना एवं बजट निर्माण की प्रक्रिया को ग्राम सभा सदस्यों द्वारा बार्क एवं सोहार्द द्वारा प्रशिक्षित युवाओं एवं जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में दोहराने का प्रयास किया जायेगा।

उदयपुर में जिला एवं निम्न स्तर पर जनजाति उपयोजना की स्थिति

जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक तथा इनको विभिन्न प्रकार के शोषण से मुक्त कराने हेतु जनजाति उपयोजना वर्ष 1974–75 में अपनाई गई। इस उपयोजना की रणनीति के अनुसार प्रत्येक राज्य को अपने आयोजना का राज्य की जनजाति जनसंख्या के अनुपात में जनजाति उपयोजना हेतु आवंटित करना चाहिये। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति जनसंख्या 92.38 लाख है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 13.5 प्रतिशत है। अतः राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का कम से कम 13.5 प्रतिशत जनजाति उपयोजना हेतु आवंटित करना चाहिये। लेकिन इस उपयोजना के लागू होने के 40 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी उपयोजना में मानदंड से बहुत ही कम राशि आवंटित एवं व्यय की जा रही है तथा यही स्थिति केन्द्र एवं देश के अन्य राज्यों में देखी जा सकती है। राज्य में भी उपयोजना के अंतर्गत मानदंड से बहुत कम राशि आवंटित की जा रही है। हालांकि राज्य स्तर पर उपयोजना के अंतर्गत आवंटन विगत 4–5 वर्षों में बढ़कर करीब 8 से 9 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा धरातल पर उपयोजना के क्रियांवयन की स्थिति को जानना भी बेहद आवश्यक है। इसी संदर्भ में बार्क विगत 2–3 वर्ष से जिला एवं निम्न स्तर पर उपयोजाओं की स्थिति को जानने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में बार्क द्वारा इस वर्ष उदयपुर में जिला एवं निम्न स्तर पर जनजाति उपयोजना की स्थिति का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत आलेख इस अध्ययन के परिणामों पर आधारित है।

गौरतलब है कि राज्य में आदिवासियों की स्थिति विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक पैमानों– शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका एंव विभिन्न अधिकारों के लिहाज से काफी कमजोर है। जबकि, जैसा कि पहले उल्लेखित किया जा चुका है कि, देश के अन्य राज्यों की तरह राज्य में भी दोनो उपयोजनाओं के अंतर्गत आवंटन एवं व्यय मानदंड से काफी कम है। इसके अलावा राज्य में, विशेषतया जिला एवं निम्न स्तर पर उपयोजना के क्रियांवयन के लिये कोई व्यवस्थित दिशा निर्देश एवं तंत्र नहीं है। अतः जिला एवं निम्न स्तर पर उपयोजना के क्रियांयन की स्थिति का विश्लेषण एवं आंकलन करना आवश्यक है। इसी परिपेक्ष्य में बार्क द्वारा जिला एवं निम्न स्तर पर जनजाति उपयोजना के बजट खर्च एवं क्रियांवयन की ट्रेकिंग हेतु यह अध्ययन उदयपुर जिले में किया गया है। ताकि इस अध्ययन से उभरी समस्याओं एवं मुद्दों के आधार पर उपयोजना के जिला एवं निम्न स्तर पर बेहतर क्रियांवयन के लिये पैरवी की योजना तैयार की जाये। इस अध्ययन हेतु दो विभागों (कृषि एवं वन) को चुना गया लेकिन वन विभाग द्वारा आंकड़े उपलब्ध नहीं किये जाने के कारण वन विभाग के स्थान पर उद्यान विभाग को चुना गया।

अध्ययन के उद्देश्य : अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं –

- जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जनजाति उपयोजना के क्रियांवयन को समझना (दो विभागों, कृषि एवं उद्यान विभाग, को चुनकर)
- जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर दोनों विभागों (कृषि एवं उद्यान) को आवंटित बजट एवं व्यय में जनजाति उपयोजना हेतु आवंटन का विश्लेषण करना। साथ ही दोनों विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं में उपयोजना के क्रियांवयन का विश्लेषण करना।
- दो विभागों में चुने हुये कार्यक्रमों एवं योजनाओं में जनजाति उपयोजना के क्रियांवयन में विभिन्न समस्याओं एवं मुद्दों को इंगित करना।
- जिला एवं निम्न स्तर पर जनजाति उपयोजना के क्रियांवयन को मजबुत करने हेतु सरकार के साथ पैरवी के लिये एवं मुद्दों को इंगित करना।

अध्ययन प्रविधि एवं क्षेत्रः

राज्य में अधिकांश आदिवासी जनसंख्या राज्य के दक्षिणी जिलों – उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ एवं सिरोही में संकेन्द्रित है एवं इन जिलों के आदिवासी बाहुल क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस अध्ययन हेतु उपरोक्त जिलों में से उदयपुर जिले को चुना गया एवं 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले की कुल आबादी में करीब 50 प्रतिशत आदिवासी आबादी है। ब्लॉक स्तर पर उपयोजना के क्रियांवयन को समझने के लिये इस जिले के कोटड़ा एवं गिर्वा ब्लॉक को चुना गया। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक ब्लॉक से दो–दो ग्राम पंचायतें, जिसमें कोटड़ा की गोगरुद एवं मेरपुर ग्राम पंचायत तथा गिर्वा की नाई एवं सीसारमा ग्राम पंचायत चुनी गयी।

इस अध्ययन में मुख्य रुप से दो विभागों कृषि एवं उद्यान विभाग को लेकर जिला, ब्लॉक एवं निम्न स्तर पर उपयोजना के बजट आवंटन, खर्च एवं क्रियावंयन को ट्रेक किया गया। इस अध्ययन हेतु आंकड़ों का संग्रहण प्रत्येक स्तर पर डेटाशीट एवं प्रश्नावली के माध्यम से किया गया। इसके अलावा इस अध्ययन हेतु विभिन्न स्तरों पर आंकडों का संग्रहण के लिये आस्था संस्थान की आदिवासी अधिकार संदर्भ इकाई के सहयोग से सहयोग लिया गया। हालांकि इस अध्ययन के लिये तय योजना के अनुसार आंकडे संग्रहित नहीं हो सके जिसके कारण यह अध्ययन कुछ सीमित रहा। फिर भी उदयपुर जिले के दोनो विभागों (कृषि एवं उद्यान) से जिला स्तर पर बजट की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनका विश्लेषण इस आलेख में प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन के प्रमुख परिणामः

जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है कि यह अध्ययन उदयपुर जिले में दो विभागों–कृषि एवं उद्यान को चुनकर किया गया। इस अध्ययन के परिणाम दोनों विभागों द्वारा प्रदान की गयी सूचनाओं पर आधारित है। गौरतलबर है कि उदयपुर जिले की कुल आबादी में करीब 49.7 प्रतिशत आदिवासी है। अतः जिले में विभागों को आवंटित बजट में करीब 49.7 प्रतिशत राशि जनजाति उपयोजना के अंतर्गत आवंटित एवं व्यय की जानी चाहिये। दोनों चुने हुये विभागों द्वारा प्रदान की गये विगत तीन वर्षों (2012–13 से 2014–15 तक) के जिला स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार दोनों विभाग इस उपयोजना में मानदंड से बहुत कम राशि आवंटित एवं खर्च कर रहे हैं। जिसका विवरण निम्न तालिकाओं में दर्शाया गया है।

तालिका 1: उद्यान विभाग उदयपुर में जिला स्तर पर जनजाति उपयोजना के अंतर्गत बजट आवंटन एवं व्यय

(रूपये लाखों में)

वर्ष	कुल आवंटन	कुल व्यय	व्यय का प्रतिशत	जनजाति उपयोजना में कुल व्यय	कुल व्यय में जनजाति उपयोजना का प्रतिशत
2012–13	309.04	188.65	61.04	16.21	8.59
2013–14	246.10	150.50	61.15	19.28	12.81
2014–15	304.81	31.08	10.20	1.29	4.15

स्रोत : प्रगति प्रतिवेदन, उद्यान विभाग, उदयपुर, विभिन्न वर्ष

उपरोक्त तालिका के अनुसार विगत तीन वर्षो में उद्यान विभाग द्वारा मात्र करीब 4 से 12 प्रतिशत राशि ही इस उपयोजना हेतु आवंटित की गयी। वहीं अगर इस विभाग की योजनाओं के कुल लाभार्थियों में आदिवासियों का प्रतिशत देखा जाये तो करीब 5.5 से 9.5 प्रतिशत ही आदिवासी पाये गये।

तालिका 2 : कृषि विभाग उदयपुर में जिला स्तर पर जनजाति उपयोजना के अंतर्गत बजट आवंटन एवं व्यय

(रूपये लाखों में)

योजना	वित्तीय लक्ष्य			भौतिक लक्ष्य		
	कुल	जनजाति उपयोजना	कुल व्यय में उपयोजना का प्रतिशत	कुल	जनजाति उपयोजना	कुल व्यय में उपयोजना का प्रतिशत
आइसोपोम	48.1	18.4	38.2	25.4	9.8	38.6
आरकेवीवाई–1	742.2	170.1	22.9	59.0	1.0	1.6
राज्य योजना	51.9	11.8	22.8	51.3	11.4	22.2
आईसीडीपी कोटन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
एनएफएसएम(पल्स)	137.8	39.1	28.4	68.9	34.4	49.9
एनएफएसएम(व्हीट)	175.9	58.7	33.4	101.7	42.6	41.8
आरडब्ल्यूएसआरपी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
राजामिप	16.8	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0
गैर आयोजना	0.4	0.2	57.1	0.3	0.2	57.4
आरकेवीवाई–2	190.4	64.9	34.1	116.2	53.3	45.9
कुल	1363.5	363.2	26.6	430.8	152.6	35.4

स्रोत : प्रगति प्रतिवेदन, उद्यान विभाग, उदयपुर, विभिन्न वर्ष

इसी प्रकार कृषि विभाग द्वारा भी इस उपयोजना हेतु बहुत कम बजट आवंटन एवं व्यय किया गया है, वर्ष 2013–14 में इस विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं के कुल बजट में करीब 35 प्रतिशत राशि ही जनजाति उपयोजना हेतु खर्च की गयी। वहीं अगर योजनावार बजट खर्च देखा जाये तो विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत करीब 22 प्रतिशत राशि ही इस उपयोजना के लिये व्यय की गयी। जबकि विभाग की राजामिप (RAJMIP) योजना में तो एक भी रुपया उपयोजना में खर्च नहीं किया गया। हालांकि ब्लॉक एवं निम्न स्तर पर कोई व्यवस्थित डेटाबेस नहीं है साथ ही इन स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों में जनजाति उपयोजना के व्यवस्थित क्रियांवयन के संबंध में जानकारी का अभाव है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि राज्य में जिला एवं निम्न स्तर पर जनजाति उपयोजना का क्रियांवयन बेहद खराब है। अतः जिला एवं निम्न स्तर पर उपयोजनाओं के व्यवस्थित क्रियांवयन हेतु मार्ग दर्शिकायें जारी की जायें। इसके अलावा इन स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों का जनजाति उपयोजना के क्रियांवयन के संदर्भ में प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन किया जाये।

पृष्ठ 3 को शेष – राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओ की.....

बैंक के कर्मचारियों आदि को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है।

- पेंशन प्राप्त कर रहे ज्यादतर लाभार्थीयों को अपनी पेंशन राशि का भुगतान लेने के लिए अपने घर से या गांव से दूर जाना पड़ता है, जिसके कारण लाभार्थीयों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थीयों को पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए कई मर्तबा पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिसमें उन्हे बहुत परेशानी होती है, खासकर बुजुर्ग व निःशक्तजनों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
- वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थीयों की पेंशन राशि में उम्र के हिसाब से बढ़ोतरी करने की सरकारी प्रक्रिया सही ढ़ग से काम नही कर रही है, इस अध्ययन के अनुसार बहुत अधिक ऐसे वृद्धजन है, जिनकी उम्र 75 साल से भी अधिक है, फिर भी उन्हें पेंशन योजनाओं के तहत सिर्फ 500 रूपये ही दिये जा रहे हैं, जबकि नियमानुसार 750 रू. मिलने चाहिए।
- पेंशन योजनाओं के तहत दी जा रही राशि लाभार्थीयों के जीवन यापन के लिए प्रर्याप्त नहीं है।
- राज्य में बहुत अधिक मात्रा में ऐसी विधवा महिलाऐं है, जिन्हे पालनहार योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण उनका जीवन यापना करना, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है।
- राज्य मे आज भी बहुत अधिक मात्रा में ऐसे लोग है, जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं है, वे अपना जीवन यापन करने के लिए दुसरों पर निर्भर है, या किराये के मकान में रहते हैं।

हमारे सुझावः

- पेंशन योजनाओं की समीक्षा की जाये तथा लाभार्थीयों को उनकी पात्रता के अनुसार पेंशन राशि का भुगतान किया जाये। तथा सरकार को ऐसा कोई सिस्टम विकसित करना चाहिए जिससे लाभार्थी की उम्र के हिसाब से स्वतः ही पेंशन राशि में बढ़ोतरी हो जाये।
- सरकार को पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन करने तथा सत्यापन की कार्यवाही ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड कार्यालय में ही पूर्ण की जानी चाहिए।
- सरकार पेंशन योजनाओं का लोगों की जरूरतों, महंगाई के हिसाब से रिव्यू कर तथा पेंशन राशि में सूचकांक के अनुसार बढ़ोतरी करे ताकि लाभार्थी सही ढ़ग से जीवन यापन कर सकें।
- पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया को दुरस्त व पारदर्शि बनाया जाये, ताकि लोगो को समय पर पेंशन राशि का भुगतान प्राप्त हो सके।
- पेंशन स्वीकृति व भुगतान की प्रक्रिया में जानबूझकर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- सरकार को इस तरह की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल होने वाले लोगों के अधिकारों की सुरक्षा बाबत् इन योजनाओं को कानूनी रूप दिया जाये।
- पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों में ज्यादतर पेंशन राशि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, इस स्थिति में सरकार को पोस्ट ऑफिस में मिनी बैंक खोलकर हर दिन पेंशन राशि के भुगतान करने की कार्य योजना बनाये।
- सरकार को सामाजिक सुरक्षा के लिए एक अभियान चलाकर पात्रता के अनुसार लोगो से आवेदन प्राप्त कर उनको अन्य कल्याणारी योजनाओं का लाभ दिया जाना चाहिए।

सेवा में, बुक पोस्ट

श्रीमान / श्रीमती.....

.....

..... पिन कोड.....

संपादक – नेसार अहमद
संपादक मण्डल – महेन्द्र सिंह राव
– बरखा माथुर
– विवेक मिश्रा
सहयोग – अंकुश वर्मा
– भीमसिंह मीणा
सलाहकार – डॉ जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :-

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन / फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org